


निर्वाचन व्ययों का सार विवरण


जुलै 2023

मन् की
राए पर
प्रन का
व्यक्ति
बन्धित
वाहिए।
घित,

| भाग-I: निर्वाचन व्ययों का सार विवरण | | |
|-------------------------------------|---|---|
| I | अभ्यर्थी का नाम | श्री/श्रीमती/कुमारी श्री/श्रीमती/कुमारी कोहरा 5 |
| II | निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम | श्रीलक्ष्मी (125) |
| III | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | राजस्थान |
| IV | निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप/निर्वाचन का उल्लेख करें) | विधानसभा |
| V | परिणाम घोषित करने की तारीख | 03.12.2023 |
| VI | निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता | बुध्वा/पुड. सातवावावा |
| VII | यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें | श्रीकृष्ण (जि.स.प.) पार्टी |
| VIII | क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है? | हां/नहीं ✓ |

दिनांक :
स्थान :


निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(125) आ.स.प.
सुपरग्रुप अधिकारी ओरिसा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम 

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

| क्र.सं. | विवरण | अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में) | राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में) | अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय राशि (रुपये में) | कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ (3), (4) एवं (5) का जोड़) |
|---------|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | जन सभाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनैतिक दल के स्टार प्रचारकों पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| | II ख : स्टार प्रचारक (कों) के साथ जन सभा, रैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात्: साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| II | क्रम संख्या-ख में उल्लिखित जन सभाओं, रैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संलग्न करें) | 5364 | — | — | 5364 |
| III | (क) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| | (ख) केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| IV | अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संलग्न करें) | 4500 | — | — | 4500 |
| V | प्रचार कार्यकर्ताओं/अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| VI | अन्य कोई प्रचार व्यय | 878 | — | — | 878 |
| VII | आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उपगत व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न) | — | — | — | — |
| VIII | VIII वर्चुअल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संलग्न करें) | — | — | — | — |
| | कुल योग | 10742 | — | — | 10742 |

निर्वाचन प्रशासनिक सेवा सहायक अधिकारी
(125) आरक्षिका
राज्यपाल आयोग, आगरा

(300)

लोहन राम
भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

| क्र.सं. | विवरण | राशि (रुपये में) |
|---------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संलग्न करें) | 10742 |
| II | पार्टी (पार्टियों) से नकदी या चेक इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-8 के अनुसार संलग्न करें) | — |
| III | किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संलग्न करें) | — |
| | कुल योग | 10742 |

निर्वाचक आयोग
(125) अतिरिक्त
उपखण्ड अधिकारी, ओरिस्सा

